न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 101 / 2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00372

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. श्रीमती भीखी दवी पुत्री स्व. चन्द्रकी धर्मपत्नी श्री नारायणलाल, जाति मेघवाल (भांबी), निवासी–ग्राम निम्बली उर्रा, तहसील रोहट, जिला पाली। 2. श्रीमती सायरकी देवी पुत्री स्व. चन्द्रकी धर्मपत्नी श्री गेपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजडली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष ओझा अनुपस्थित
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 17-12-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नायब तहसीलदार रोहट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 251 जो दिनांक 15.11.1987 को स्वीकृत किया गयास। उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रस्तुत करने से अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट को आवाजें दिलवाई गई लेकिन उपस्थित नहीं आए अतः प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। जहां प्रकरण की मेरिट का प्रश्न है वहां म्याद में तकनिकी बिन्दु के आधार पर खारिज कर पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं होने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की अपील में वर्णित अनुसार अपीलांट की माता चन्द्रकी बेवा लिछमणराम के खातेदारी की भूमी खसरा नंबर 104 रकबा 20 बीघा वाके मुकनपुरा तहसील रोहट जिला पाली में आई हुई है जो पैतृक भूमी है पहले अपीलान्ट के पिता लिछमण खातेदार काश्तकार दर्ज थे फिर लिछमण के देहान्त के पश्चात खसरा नंबर 104 रकबा 20 बीघा भूमी अपीलांट की माता चन्द्रकी के नाम दर्ज हुई। एवं चन्द्रकी का देहान्त 1995 में होने के पश्चात उक्त भूमी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत व गैरकानूनी तरीके से दर्ज कर भूमी राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जिसे निरस्त फरमाया जावे। उक्त भूमी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के सिवाय अन्य कोई वारिसान नहीं है जैर अपील आराजी को गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी जो निरस्त फरमावे जबकि चन्द्रकी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान की जांच कर बाद सुनवाई कर नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण बिना विधिक वारिशान की जांच व सुनवाई के भरा गया है जो निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार साहब पाली के आदेश दिनांक 25.11.1987 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया। उक्त आदेशों की प्रतियां चाही जाने पर सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा ऐसा कोई आदेश चालान में दर्ज नहीं होना बताया प्रार्थना पत्र एवं उस पर दिए गए आदेश की प्रति संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है जिस आदेश का हवाला दिया जा[illegible] नामान्तरकरण पारित किया गया है वह आदेश पारित ही नहीं किया गया है। ऐसी [illegible] जैर अपील नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे तथा भूमी को अप[illegible] के लिए नामान्तरकरण दर्ज कराने के आदेश पारित कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:49 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन कि[illegible] कि जैर अपील नामा[illegible] जरिये आदेश उपखण्ड अधिकारी पाली व तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक / राजस्व / 87 / 532 दिनांक 25.1.1987 की पालना में भरा गया है जब तक उक्त आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाता है तब तक जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....................2

बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण संख्या 251 का भी अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या जैर अपील नामान्तरकरण किसी आदेश की पालना में भरा गया है तथा उक्त आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है ?

जैर अपील नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी पाली एवं तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक/87/532 दिनांक 25.1.1987 की पालना में भरा गया है उक्त आदेश जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा उक्त आदेश अभी तक अस्तित्व में है किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किए जाने के आदेश पारित करना विधीसम्मत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 251 ग्राम मुकनपुरा पटवार हल्का बान्डाई जो दिनांक 15.11.1987 को नायब तहसीलदार रोहट द्वारा पारित किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17-12-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:49 IST
Reason: SelfAttested